

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये जा सकता है।
उन्नीसवें अन्य पदाधिकारी के नाम से।
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये विस्तर से सुरिया हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ महा.वि.प./2011/3484

दिनांक: 30/03/11..

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : जैन महाविद्यालय, लिटिल ऐंजिल्स स्कूल के पास, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. के. एस. सैंगर, शासकीय महाविद्यालय, श्योपुर

2. डॉ. एम.सी. पाठक, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, लिटिल ऐंजिल्स स्कूल के पास, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जाये। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपरिथित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समरत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ४२५।

दिनांक : १२/१२/११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार जैन महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- एन.सी.टी.ई. नार्मस के अनुसार शिक्षा महाविद्यालय का भवन अलग बनाया जाये।
- अध्यापकों की वियुक्तियाँ शीघ्र 28(17) के तहत की जावें।
- लायब्रेरी में अच्छी रिफेन्स बुक्स क्रय की जावें।

नोट :- अगले वर्ष की मान्यता इन शर्तों के पूर्ण होने पर ही दी जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, विरवाई बाका, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 11242

दिनांक: 21.12.11

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405124) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अविनाश तिवारी, आचार्य, फूट ट्रेक्योलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442619)
- (2) डॉ. सुकेश कटारे, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. गुर्जर, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षण अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिएन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बांगन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिला छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्राकाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बद्धित रिक्षय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे समिया हो।



ग्राम : भूजीवारीही
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4365

दिनांक: 29/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405121) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निर्बाचुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। संयोजक) (0751-2442633)


(2) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य गणिन्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) डॉ. एस.के. श्रीवास्तव, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला जीवाजी, विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसा आंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कावलिय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाज से ही किया जाए जा न
कि किसी अन्य प्राधिकारी के बाज से।
उन्नतीयत विषय पर यदि पूर्ण तौर पर
व्यवहार कुआ तो तो पत्र क्रांति एवं दिलाक
अध्ययन लिखा जाए तिउले समिया तो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्युल्टी : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009/ 4560

दिनांक: 15/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध जेन महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405124) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबंधित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावौ सम्बन्धित हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति मठोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विभाग्युसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्त. एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442565)
- (2) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोस्टन महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. वी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनापत्ति प्रमाण-एवं, भवज, क्रीड़ा परिवर्त एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेल्स तथा ऐसे छात्र जैसे जीव शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में विरीक्षण करें एवं परिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देही के लिए नज़ारियालय खत्यं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के भेज दी जावेगी। यहि महाविद्यालय 03 माह ने विरीक्षण नहीं कराया है तो समिति खत्यं विरस्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुरुर्बाहन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित एप्प विवरण विज्ञा छार्टों को प्रदेश देजा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के लाय सम्बन्धित शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय अध्यक्ष पत्रावली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3/2/13
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक लियायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RJ
सहायक कुलसचिव (सम्बन्धित)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार कुला से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविचार हो।



ग्राम : यूनिवरिटी
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
 (फोनलिंग)
 2442462 (विभाग)
 फैक्स : (091-0751-2341768
 E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
 Website : <http://www.jiwaukee.edu/>

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/५७७६

दिनांक : २५/०५/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्याकुसार जैन महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस-सी., (साइकोवायलॉजी, बायोटेक), बी.कॉम. समस्त अधिकारी विषय-(कम्यूनिटी अधिकारी विषय) एम. एस-सी. (बायोटेक), पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिक्रिया :-

1. बी.एस-सी. (अधिकारी विषय बायोटेक एवं माइक्रोवायलॉजी), एम.एस-सी. (बायोटेक) की प्रयोगशालाएँ एवं अन्य कक्ष महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित नवीन भवन में शीघ्र अति शीघ्र स्थानान्वयित किया जावे।
2. बी.एस-सी. (बायोटेक एवं माइक्रोवायलॉजी) की प्रयोगशालाएँ प्रथक प्रथक की जावे।
3. प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार ही प्रयोगशालाएँ विकसित की जावे। उचित उपकरण एवं रसायन क्रय किये जावे।
4. प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम तीन शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत शीघ्र अति शीघ्र की जावे।
5. छाड़ा अधिकारी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियाँ 28(17) के अन्तर्गत शीघ्र अति शीघ्र की जावे।
6. वर्तमान सत्र में समस्त पाठ्यक्रमों द्वारा प्रथक प्रथक से एक लाख रु. की पुस्तकों क्रय की जावे। पुस्तकालय में कम से कम 10 माहक जर्नलों की निरन्तरता सुनिश्चित की जावे।
7. कम्यूनिटी लैब द्वारा लीगल साप्टवेयर आंवर्टिट ब्राय संख्या के आधार कर शीघ्र अति शीघ्र क्रय किये जावे।
8. वर्तमान सत्र में खेलकूद का मैदान एक लाख रु. की सामृद्धी क्रय कर विकसित किया जावे।

आदेशाकुसार
Zmmmp3
 कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन महाविद्यालय, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. श्रीमीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही देतु।

Sh
 उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
कि किटी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यहि दूर्घात में पत्र
व्यवहार द्वारा ही तो पत्र कलांक एवं दिलांक
अवश्य लिखा जाए जिससे यापिया हो।



ग्राम : गृनीकर्टेट
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/संबद्धता/2012/ ५८३२

दिनांक : ५.०५.१२


// सूचना //

जैन महाविद्यालय, ग्वालियर में सत्र 2012-13 से बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. एवं
एम.एस-सी. (बायोटेक) पाठ्यक्रम में सीट संख्या तृतीय हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नानुसार
समिति का गठन किया गया है :-

- (1) प्रो. डॉ. डी.एन. गोप्तवामी, आचार्य, कनप्पूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (2) प्रो. जी.बी.के.एस. प्रसाद, आचार्य, बायोटैक्नोलॉजी अ.शा., जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. लक्ष्मण, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अ.शा., जी.वि.वि. ग्वालियर।

समिति से अनुरोध है कि महाविद्यालय का जिरीक्षण कर प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर डी.सी.
डी.सी. कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

समिति के सदस्यों को मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रति,

समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :-

1. ग्रामार्थ, जैन महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उपकुलसचिव (सम्ब.)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
लक्षणित विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च
व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रांतक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५७६५

दिनांक: ०१/०६/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, लिंगिं ऐंजिल्स स्कूल के पास शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर को सत्र २०१२-१३ के इन्हें प्रस्तावित/सचावित बी.एड., एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने एं लिये मानवीय कुलपति महोदय/खाली समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम १९७३ के परिवेदन २७(१०) के अन्वर्गत विनाकुरार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(१) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)

(२) प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूयोर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(३) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुभव है कि वे परिवेदन २७/२८ के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घोटाला राशि, वांछित शैक्षणिक/अशेषणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीझा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशेषणिक स्टॉफ की विनियोजित विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं : ग्रा. समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्वालियालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित है कि वे अपने महाविद्यालयों का विरीक्षण विधायित अवधि से पूर्ण ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के विर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एवं महाविद्यालय का विरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय का आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष २०१२-१३ के लिए सम्बद्धता रक्खनी किसी भी प्रकरण में ३० जून, २०१२ के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। जो ही ग्वालियालयों के लिए पुब्लिक समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

‘विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाआ में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. / माइक्रो महाविद्यालय द्वारा देय होगा।’

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८: आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय एवं विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. / माइक्रो महाविद्यालय द्वारा देय होगा।
3. आवृक्षन उच्च शिक्षा, सतपुद्धा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जैजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जैजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से यह किया जाए जा रहा है।
किसी अन्य पदाधिकारी के बाग से।
सम्बद्धता विषय पर यदि पूर्ण में एवं
व्यवहार कुआ हो तो वह क्रांति एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे समिति हो।



ग्राम : जीवाजी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५८४८

दिनांक: ३१.८.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन महाविद्यालय, ग्वालियर दो सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित वी.सी.ए., वी.सी.ए., वी.कॉर्ग., (कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.एस.-सी. (बायोटेक), एवं पी.जी.डी.सी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय आधिकार्यम 1973 के परिचयम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442630)
- (2) प्रो. कै.कै. मौर्य, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मौहना, ग्वालियर।
- (3) प्रो. एस.के. गुरुता, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. कै.एस. वकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (5) डॉ. सनीर भाग्यवत्त, उपाचार्य, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (6) डॉ. अन्वृ चतुर्वेदी, आचार्य, एम.आई.टी.एस. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धोरंग राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुशंसा/अनुपाति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रगति पत्र...ले तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉक की विद्युतित तथा प्रगति के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें; महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण कराएँ। समिति संयोजक द्वारा विवेदन है कि वे उक्त विधिरित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 गांठ में निरीक्षण बर्ती कराता है तो समिति स्वतं विस्तृत हो जायेगी और पुक्क: निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वांगन किया जायेगा। परिचयम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवाहित छात्रों को प्रवेश देबा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शामा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारी हो तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से निरीक्षण समिति को अवगत करायेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों - डॉ. वी.ए. / डॉ. गान्धी जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

3/1/2

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर गोजकर आगह है कि सदिःशि के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुजा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)